हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी।

विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एंव प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाईज निम्न प्रकार से है:-

CARPENTER (AO52068)=03	COPA(AO139878)=02
ELECTRICIAN (AO52064)=07	Fitter (AO142068)=08
Mechanic Diesel (AO224536)=06	Mech(Motor Vehicle) (AO52067)=04
Painter (AO176518)-01	WELDER (AO52063)=02

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वैबसाईट "apprenticeshipindia.org" पर दिनांक 01.12.2023 से 08.12.2023 सांय 15:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं0, आई0डी0, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई0टी0आई0 विभाग द्वारा जारी आई0टी0आई0 पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा आवेदन करने उपरान्त अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय, महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी में जमा करवाएं। यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटोप्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। दिनांक 08.12.2023 के पश्चात् किए गए आवेदन मान्य नहीं होगें। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई0टी0आई0 मार्कशीट के अंकों अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

जिन प्रशिक्षु उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने उपरान्त अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाएं गए हैं उन उम्मीदवारों के दस्तावेज दिनांक 12.12.2023 को प्रातः 11-00 बजे कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा चैक किए जाएगें। अतः सभी उम्मीदवार उपरोक्त निश्चित तिथि एंव समय पर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने मूल मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होवें। सफल प्रशिक्षु उम्मीदवारों का चयन आई0टी0आई0 मार्कशीट के अंकों अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

नोटः अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति केवल दिनांक 08.12.2023 को सांय 15:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जावेगीं।

महाप्रबन्धक
हरियाणा राज्य परिवहन,
रेवाड़ी।

PRDH-1119/11/427/2024/23011/67/6